राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1599/2024

बनवारी लाल मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 21.03.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो कि सहायक अभियंता, उपखण्ड मालाखेड़ा, अलवर में पदस्थापित है, उन्हें आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 21.03.2024 में अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। बिना किसी कारण के अपीलार्थी को स्थानंतरण/एपीओ पर प्रतिबंध की अवधि में अपीलार्थी को एपीओ किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि आलोच्य आदेश नियम–25ए सेड्यूल–(ix) राजस्थान सेवा नियम, 1951 के प्रावधानों के विपरीत है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अत्यावश्यकता को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अपीलार्थी उपखण्ड मालाखेड़ा, अलवर में दिनांक 02.09.2019 से पदस्थापित है। अतः अपीलार्थी 04 वर्ष 6 माह से भी अधिक समय से उपखण्ड मालाखेड़ा, अलवर में एक ही स्थान पर कार्यरत है। अपीलार्थी के विरूद्ध

मौखिक रूप से उच्चस्तर पर उनके कार्यों एवं कार्यशैली के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतः अपीलार्थी को तुरन्त प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया गयाहै ताकि उनके कार्यों की जांच प्रभावित नहीं हो और निष्पक्ष जांच की जा सके।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
5. अपीलार्थी की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को बिना किसी कारण से आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जिसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मौखिक रूप से शिकायते प्राप्त हुई है, जिस कारण उन्हें आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, ताकि उनके कार्यों की जांच प्रभावित न हो और निष्पक्ष जांच की जा सके। प्रत्यर्थी विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच प्रस्तावित भी है या नहीं। आलोच्य आदेश में एपीओ किये जाने का कोई कारण भी अंकित नहीं है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण/एपीओ पर प्रतिबन्ध की अवधि में एपीओ किया गया है, जो उचित नहीं है।
6. अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का आलोच्य आदेश दिनांक 21.03.2024 (अनुलग्नक–1) अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकता है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच प्रस्तावित हो तो प्रत्यर्थी विभाग सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।
7. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)